

यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक/रीडर/ 2022/ 404

दिनांक :- 31.5.2022

मुकदमा नंबर 97/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> <li>हरदानराम पुत्र मांगीलाल</li> <li>भंवरलाल पुत्र मांगीलाल</li> <li>अमेदाराम पुत्र मांगीलाल</li> <li>रावलराम पुत्र मांगीलाल</li> <li>चूनी देवी पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी जास्ती</li> <li>भेराराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर।</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>मोमाराम पुत्र वीरमाराम</li> <li>नरेश कुमार पुत्र वीरमाराम</li> <li>प्रेम कुमार पुत्र वीरमाराम</li> <li>श्रवणराम पुत्र खेताराम</li> <li>देवी पत्नी खेताराम</li> <li>मनोहर पुत्र खेताराम</li> <li>मांगीलाल पुत्र देवाराम</li> <li>प्रभूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासीयान जास्ती</li> <li>नेमाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट</li> <li>नारायणराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी गंगावास</li> <li>लाधुराम पुत्र भारताराम मेगवाल</li> <li>इन्द्राराम पुत्र जीताराम जाति मेगवाल निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर</li> <li>राजस्थान सरकार भू धारक जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।</li> </ol>



आदेश

दिनांक :- 31.5.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा जास्ती पटवारी क्षेत्र गंगावास भू-निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा नं0 120 रकबा 89 बीघा 06 विस्वा के नये खसरा संख्या 120 रकबा 44-13 बीघा खसरा संख्या 606/120 रकबा 44-13 बीघा कुल रकबा 89-06 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर )कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 405

दिनांक :- 31.5.22

1. तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बालोतरा

